

16.01.23

पत्रावली आज पेठ हुई वकील पार्थी उपस्थित
पत्रावली का अवलोकन अदालत किया गया
वकील पार्थी द्वारा उक्त प्रकरण 17/12/2021
को प्रस्तुत किया गया 20 वर्ष से अधिक
की अवधि बीत जाने के उपरान्त भी वकील
पार्थी द्वारा विपार्थिगता की तलबी पूर्ण नहीं
कराई गई है। इससे यह प्रतीत होता है
कि उक्त प्रकरण में पार्थी एवं पार्थी
के अधिवक्ता की कोई सन्धि नहीं रही
है। अतः उक्त प्रकरण तलबी के अभाव
में अंतर्गत आदेश 09 नियम 05 CPC
के तहत सुनिश्चित किया जाता है। पत्रावली
निर्णय सुमाह होकर दाखिल दफ्तर हो।

पत्नी

उपस्थित अधिवक्ता
पुत्रावली